न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :— 02/2018 दायरा दिनांक 05.01.2018

पीठासीन अधिकारी :— श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रामहेत पुत्र डब्लू जाति सहरिया निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला—बारां
2. अशोक पुत्र डब्लू जाति सहरिया निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला—बारां

— अपीलाण्ट

बनाम

1. हरीलाल पुत्र छुटटी जाति सहरिया निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला—बारां
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद।

— रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल — अभिभाषक अपीलान्ट।
श्री हेमराज नामदेव — अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 06.10.2022

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार शाहबाद आदेश दिनांक 14.06.1989 नामान्तरकरण संख्या 211 ग्राम तेलनी

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.1989 ग्राम तेलनी को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम तेलनी तहसील शाहबाद का आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 5.01 बीघा, खसरा नम्बर 100 रकबा 10.07 बीघा, एवं खसरा नम्बर 478/180 रकबा 3.10 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 18.18 बीघा के खातेदार डब्लू पुत्र लालहंसी जाति सहर निवासी तेलनी की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजियात के सम्बन्ध में प्रश्नगत नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट क्रम 2 द्वारा तस्दीक किया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्टस यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। अपीलान्ट्स मृतक खातेदार, खातेदार डब्लू पुत्र लालहंसी जाति सहर निवासी तेलनी के सगे पुत्र होकर वैधानिक वारिस है लेकिन खातेदार डब्लू की मृत्यु के उपरान्त उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण से उक्त भूमि अवैधानिक रूप से रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को अपीलान्ट्स के पिता डब्लू का पुत्र बताकर अपीलान्ट्स के साथ—साथ रेस्पोडेण्ट क्रम 1 का भी नाम दर्ज कर दिया गया जबकि हरीलाल नाम का अपीलान्ट्स का कोई भाई नहीं है न ही हरिलाल का विवादित आराजियात में कोई हक हकूक है रेस्पोडेण्ट क्रम 1 जो छुटटी सहरिया निवासी तेलनी का पुत्र है अपने आप को विवादित आराजियात का सह खातेदार बताकर अवैधानिक तरीके से आराजियात को अन्य को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है इस पर अपीलान्ट्स ने खाते की नकल ली जिससे हरिलाल का नाम दर्ज होना [illegible] 03.01.2018 को अपीलान्ट ने नकल नामान्तरकरण प्राप्त की जब अपीलान्ट्स को ज्ञात हुआ [illegible] अपीलान्ट्स के पिता के फोती नामान्तरकरण में हरिलाल का भी नाम दर्ज हो रहा है इस [illegible] ने प्रश्नगत नामान्तरकरण में मृतक डब्लू के वारिसान में हरिलाल को शामिल करके [illegible] की है। इस तरह नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.01.2018 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष बहस सुनी गई। अपीलाण्ट मृतक खातेदार डब्लू के सगे पुत्र होकर वैधानिक वारिस है। लेकिन खातेदार डब्लू पुत्र लालहंसी जाति सहर की मृत्यु उपरान्त प्रश्नगत नामान्तरकरण से उक्त भूमि अवैधानिक रूप से रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को अपीलाण्ट ने पिता डब्लू का पुत्र बताकर अपीलान्ट के साथ–साथ रेस्पोडेण्ट क्रम 1 का भी नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि हरीलाल नाम का अपीलाण्टस् का कोई भाई नहीं है। न ही हरिलाल का विवादित आराजियात में कोई हक–हकूक है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस व पत्रावली का अवलोकन से पाया कि नामान्तरकरण संख्या अपीलान्ट्स मृतक खातेदार, खातेदार डब्लू पुत्र लालहंसी जाति सहर निवासी तेलनी के सगे पुत्र होकर वैधानिक वारिस है लेकिन खातेदार डब्लू की मृत्यु के उपरान्त उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण से उक्त भूमि अवैधानिक रूप से रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को अपीलान्ट्स के पिता डब्लू का पुत्र बताकर अपीलान्ट्स के साथ–साथ रेस्पोडेण्ट क्रम 1 का भी नाम दर्ज कर दिया गया जबकि हरीलाल नाम का अपीलान्ट्स का कोई भाई नहीं है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 हरीलाल पुत्र छुटटी का पुत्र है जिसका रामहेत पुत्र डब्लू की विरासत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 211 ग्राम तेलनी निर्णय दिनांक 14.06.1989 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि भजना पुत्र पतवा के विधिक वारिसानों की विस्तृत जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज कराकर निर्णित करें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested